झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की सदस्या–सह–प्रभारी अध्यक्ष, श्रीमती शबनम परवीन का दिनांक–25.08.2025 एवं दिनांक–26.08.2025 को धनबाद एवं बोकारो जिले में औचक निरीक्षण तथा समीक्षात्मक बैठक से सम्बन्धित प्रतिवेदन।

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की माननीय प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा दिनांक–25.08.2025 एवं दिनांक–26.08.2025 को धनबाद एवं बोकारो जिलों का भ्रमण किया गया। इस दौरान उनके द्वारा इन जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् संचालित योजनाओं यथा–विद्यालय में दिये जाने वाले पी0एम0 पोषण, जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी केन्द्रों, कुपोषण उपचार केन्द्रों आदि का स्थलीय निरीक्षण किया गया। साथ ही इन जिलों के सम्बन्धित पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई।

धनबाद जिला

❖ **स्थलीय निरीक्षण : दिनांक–25.08.2025**

➢ *पी0एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन) :–*

- दिनांक–25.08.2025 को आयोग द्वारा नया प्राथमिक विद्यालय (U-Dise Code-20120607020) पंजाबी मोहल्ला, कतरासगढ़, जिला–धनबाद का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में बच्चों के लिये भोजन कूकिंग गैस के स्थान पर कोयला पर बनते हुए पाया गया। कक्षा 01 एवं कक्षा 02 के बच्चों को जमीन पर बैठाया गया था। कक्षा 01 से कक्षा 05 तक का संचालन एक ही कमरे में हो रहा था। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा कूकिंग गैस पर भोजन बनाने एवं जो बच्चे जमीन में बैठ कर पढ़ाई कर रहें हैं, उन्हें भी बेंच में बैठाने का निर्देश दिया गया। बच्चों से पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा मेन्यू के अनुसार भोजन मिलने की बात कही गई। विद्यालय में पी0एम0 पोषण से सम्बन्धित मेन्यू अंकित पाया गया। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

- दिनांक–25.08.2025 को आयोग द्वारा राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय (U-Dise Code-20120300108) दुहाटाँड़, जिला–धनबाद–। का स्थलीय निरीक्षण किया गया। विद्यालय में भोजन कूकिंग गैस पर बनता पाया गया। निरीक्षण के क्रम में बच्चों द्वारा मेन्यू के अनुसार भोजन मिलने एवं कोई समस्या नहीं होने की बात कही गई। विद्यालय के प्रभारी श्री किशोरी प्रसाद दास द्वारा बताया गया कि विद्यालय में फण्ड नहीं होने के कारण खाद्य सामग्री उधार मंगा कर बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। यह भी कि पूरे जिले के विद्यालय की स्थिति यही है। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा आयोग के वाट्सएप्प नंबर पर आवेदन देने हेतु निर्देश दिया गया, ताकि आयोग आयोग द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु विभाग से पत्राचार किया जा सके। विद्यालय प्रभारी श्री दास द्वारा यह भी बताया गया कि विद्यालय परिसर में बाउण्ड्री वॉल नहीं होने के कारण कुछ असामाजिक

तत्व विद्यालय परिसर में शराब पीते हैं एवं परिसर में गढ्ढे होने कारण बच्चे हमेशा गिरते रहते हैं। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

➢ ***कुपोषण उपचार केन्द्र :–***

- आयोग द्वारा धनबाद जिले के सदर अस्पताल अवस्थित कुपोषण उपचार केन्द्र का निरीक्षण किया गया। केन्द्र साफ–सुथरा पाया गया। केन्द्र में कुल–06 बच्चे भर्ती पाये गये। केन्द्र में भर्ती बच्चों की माताओं द्वारा बताया गया कि वे लोग आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से अपने बच्चों को केन्द्र में भर्ती कराए हैं। बच्चों की माताओं द्वारा उन्हें प्रतिदिन केन्द्र में भोजन एवं 130/– रू0 प्रतिदिन की दर से राशि मिलने की बात बताई गई। बच्चों की माताओं द्वारा यह भी बताया गया कि ईलाज शुरू होने के बाद उनके बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है एवं लाभुकों द्वारा कोई समस्या नहीं होने की बात कही गई। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

❖ **समीक्षात्मक बैठक, धनबाद।**

- दिनांक–25.08.2025 को अपराह्न 03:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक परिसदन भवन, धनबाद में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। उक्त बैठक में आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अलावे धनबाद जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, ए0डी0एम0 (सप्लाई), जिला आपूर्ति पदाधिकारी, विभिन्न प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं पणन पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। **(फोटो की प्रति संलग्न)**
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा आयोग में दर्ज लंबित शिकायतों की सूची सम्बन्धित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए सभी शिकायतों पर 10 दिनों के अन्दर कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया। उपस्थित पदाधिकारियों को झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष से सम्बन्धित संकल्प की प्रति उपलब्ध कराते हुए इस कोष के समुचित रूप से इस्तेमाल हेतु आवश्यक सुझाव एवं निर्देश दिये गये।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान धनबाद जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कई ऐसे मामले आते हैं, जिनमें व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं एवं उनके पास राशन कार्ड नहीं होता है या राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ पाता है, जिससे वे अपना ईलाज नहीं करवा पाते हैं। अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा ऐसे मामले में त्वरित समाधान निकालने हेतु आयोग से आग्रह किया गया।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान धनबाद जिले के सम्बन्धित पदाधिकारियों द्वारा जिले में राशन कार्ड की वैकेंसी बढ़ाने के लिये अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु आयोग से आग्रह किया गया।

- धनबाद जिले के ए0डी0एम0 (सप्लाई) द्वारा बताया गया कि जिले के 650 राशन डीलरों के पास वेईंग मशीन नहीं है। केवल 93 डीलरों के ही पास वेईंग मशीन है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, धनबाद द्वारा बताया गया कि आकस्मिक खाद्यान्न कोष का फण्ड जिला में नहीं है, इस सम्बन्ध में विभाग से फण्ड की मांग की गई है। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा मांग किये गये पत्र की प्रति आयोग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

बोकारो जिला

❖ **स्थलीय निरीक्षण : दिनांक–26.08.2025**

➢ ***आंगनबाड़ी केन्द्रः–***

- आयोग द्वारा मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्र, कुमारदगा–2, पंचायत–कुमारदगा, प्रखण्ड–चास, जिला–बोकारो का निरीक्षण किया गया। केन्द्र में कुल–18 बच्चे उपस्थित पाये गये। निरीक्षण के क्रम में जानकारी मिली कि माह मार्च, 2025 से केन्द्र में बच्चों को अण्डा नहीं दिया जा रहा है। इस पर आयोग द्वारा कड़ी नाराजगी जाहिर की गई। बच्चों के लिये कूकिंग गैस के स्थान पर कोयला पर भोजन बनाते हुए पाया गया। बच्चों द्वारा प्रतिदिन खिचड़ी, चना एवं सूजी दिये जाने की बात कही गई। केन्द्र में उपस्थिति पंजी की जाँच के दौरान दिनांक–25.08.2025 को 19 बच्चों की उपस्थिति बनाई गई, किन्तु मात्र 09 बच्चों का ही भोजन बनाया गया था। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

➢ ***आंगनबाड़ी केन्द्र :–***

- आयोग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र, कुमारदगा, पंचायत–पोखन्ना, प्रखण्ड–चास, जिला–बोकारो का निरीक्षण किया गया। केन्द्र में कुल–25 नामांकित बच्चों में से 13 बच्चे उपस्थित पाये गये। बच्चों के लिये भोजन कूकिंग गैस के स्थान पर लकड़ी पर बनते हुए पाया गया। निरीक्षण के क्रम में जानकारी मिली कि माह मार्च, 2025 से केन्द्र में बच्चों को अण्डा नहीं दिया जा रहा है। साथ ही केन्द्र में योजना से सम्बन्धित सूचना पट्ट भी अंकित नहीं पाया गया। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

➢ ***जनवितरण प्रणाली केन्द्र :–***

- आयोग द्वारा राशन डीलर, श्री कृष्ण देव महतो, अनुज्ञप्ति सं0–15/2017, पिण्ड्राजोरा, प्रखण्ड–चास, जिला–बोकारो के PDS केन्द्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकान खुला हुआ पाया गया। कार्डधारियों से पूछताछ के दौरान उनके द्वारा पूरा राशन मिलने की बात कही गई। उक्त दुकान में योजना से सम्बन्धित सूचना पट्ट अंकित पाया गया। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

➢ *कुपोषण उपचार केन्द्र :–*

- आयोग द्वारा अनुमण्डलीय अस्पताल, प्रखण्ड–चास, जिला–बोकारो अवस्थित कुपोषण उपचार केन्द्र का निरीक्षण किया गया। केन्द्र साफ–सुथरा पाया गया। केन्द्र में भर्ती बच्चों की माताओं द्वारा बताया गया कि वे लोग आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से अपने बच्चों को केन्द्र में भर्ती कराए हैं। कुपोषित बच्चों के लिये कुल–09 बेड हैं, जिसमें 06 बच्चे भर्ती पाये गये। अति–कुपोषित बच्चों के लिये कुल–06 बेड हैं, जिसमें 05 बच्चे भर्ती पाये गये एवं अति गंभीर कुपोषित बच्चों के लिये कुल–05 बेड हैं, जो वर्तमान में खाली है। बच्चों की माताओं द्वारा उन्हें प्रतिदिन केन्द्र में भोजन एवं 130/– रू0 प्रतिदिन की दर से राशि मिलने की बात बताई गई। बच्चों की माताओं द्वारा समुचित ईलाज होने एवं कोई समस्या नहीं होने की बात कही गई। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

❖ **समीक्षात्मक बैठक, बोकारो।**

- दिनांक–26.08.2025 को अपराह्न 03:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक परिसदन भवन, बोकारो में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। उक्त बैठक में आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अलावे बोकारो जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, विभिन्न प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। **(फोटो की प्रति संलग्न)**
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा आयोग में दर्ज लंबित शिकायतों की सूची सम्बन्धित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए इन शिकायतों पर 10 दिनों के अन्दर कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया। उपस्थित पदाधिकारियों को झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष से सम्बन्धित संकल्प की प्रति उपलब्ध कराते हुए इस कोष के समुचित रूप से इस्तेमाल हेतु आवश्यक सुझाव एवं निर्देश दिये गये।
- बोकारो परिसदन भवन में उपायुक्त, बोकारो द्वारा किये गये शिष्टाचार मुलाकात के दौरान आयोग की माननीय अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा पूरे बोकारो जिला के आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को अण्डा नहीं दिये जाने से सम्बन्धित मामले को उनके संज्ञान में लाया गया। उपायुक्त, बोकारो द्वारा मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को दिनांक–27.08.2025 से ही आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के बीच अण्डा दिए जाने की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, बोकारो द्वारा सुझाव दिया गया कि असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्तियों का राशन कार्ड बनाने

अथवा राशन कार्ड में नाम जोड़ने से सम्बन्धित मामले जिला को दिया जाए, ताकि ऐसे व्यक्तियों का ससमय राशन कार्ड बनाया जा सके अथवा राशन कार्ड में नाम जोड़ा जा सके।

- समीक्षात्मक बैठक के दौरान सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि यदि किसी राशन डीलर को किसी कारणवश सस्पेंड किया जाता है एवं उसके कार्डधारियों को किसी दूसरे डीलर के साथ सम्बद्ध किया जाता है, किन्तु वह डीलर कार्डधारियों के क्षेत्र से काफी दूर पड़ता है तथा कार्डधारियों को खाद्यान्न प्राप्त करने में परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में लाभुकों की सुविधा हेतु उन्हीं के क्षेत्र में नये राशन डीलर की बहाली की जा सकती है।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 8–9 माह से बोकारो जिला के राशन डीलरों को कमीशन नहीं मिला है। इस पर आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा निर्देश दिया गया कि यदि डीलर को भी कोई समस्या है, तो वे भी आयोग के वाट्सएप्प नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ताकि आयोग अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु विभाग से पत्राचार कर सके।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा सुझाव दिया गया कि जिले के प्रखण्डों में स्टाफ की कमी है, इसे दूर करने की आवश्यकता है।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा सुझाव दिया गया कि अधिकारी द्वारा जब किसी क्षेत्र का भ्रमण किया जाता है, तो उन्हें आने–जाने का भत्ता भी मिलना चाहिए।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा सुझाव दिया गया कि पणन पदाधिकारी के लिये अलग से एक सरकारी नंबर जारी करना चाहिए, ताकि उनके ट्रांस्फर अथवा सेवानिवृत होने के पश्चात् भी कार्य बाधित न हो।

❖ **आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा धनबाद एवं बोकारो जिले में बैठकों के दौरान दिये गये प्रमुख निर्देशः–**

- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा सम्बन्धित दोनों जिलों के सम्बन्धित अधिकारियों से अपने–अपने जिलों के सभी प्रखण्डों में झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष के जिला स्तर पर आवंटन की स्थिति, पंचायत स्तर पर राशि की उपलब्धता एवं व्यय के विवरण से सम्बन्धित जानकारी मांगी गई। प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा बताया गया कि राज्य के प्रत्येक पंचायत को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से 10,000/– रू0 की राशि आवंटित की जाती है। आकस्मिक खाद्यान्न कोष के अन्तर्गत वैसे व्यक्ति जो गरीब एवं असहाय हैं, स्वयं खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं कर सकते, जिनके सामने भोजन का संकट हो अथवा राशन कार्ड की अहर्ता रखते

हुए भी उनके पास राशन कार्ड नहीं है एवं राशन नहीं मिलने के कारण उनके साथ कोई अनहोनी या दुर्घटना न हो जाए, इस हेतु झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष का गठन किया गया है। उक्त कोष के तहत् लाभुक को बाजार दर पर 10 कि0ग्रा0 खाद्यान्न खरीद कर उन्हें उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

- समीक्षात्मक बैठक के दौरान प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रखण्ड स्तर पर राशि के आवंटन की कमी होने अथवा राशि समाप्त होने पर इसकी सूचना जिले के अधिकारियों को दी जाए। यह राशि कभी खत्म नहीं होने वाली राशि है। प्रत्येक पंचायत में 10,000/– रू0 की राशि उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करें। प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा सभी पदाधिकारियों को अपने स्तर से समीक्षा करने का निर्देश दिया गया एवं झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष से सम्बन्धित प्रखण्डवार विवरणी की मांग की गई।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा बताया गया कि लोगों एवं जनप्रतिनिधियों को झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष की जानकारी नहीं रहती है। ऐसे में उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे प्रखण्ड स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ माह में कम से कम एक बार बैठक आयोजित कर उन्हें जागरूक करें एवं योग्य लाभुकों को चिन्हित करते हुए उन्हें आकस्मिक खाद्यान्न कोष का लाभ दिलाने में अपनी भूमिका निभाएँ।
- उक्त दोनों जिलों धनबाद एवं बोकारो में निगरानी समिति गठित है, किन्तु समिति की बैठक नहीं हो पा रही है। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा दोनों जिलों के सम्बन्धित पदाधिकारियों को निगरानी समिति की नियमित बैठक करने हेतु निर्देश दिया गया। पंचायत स्तर पर निगरानी समिति के अध्यक्ष मुखिया होते हैं। उनके साथ बैठक कर उन्हें सम्बन्धित योजनाओं से अवगत कराएँ एवं उनसे सुझाव भी मांगे।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से आच्छादित योजनाओं यथा–जनवितरण प्रणाली, पी0एम0 पोषण, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जुड़े मामलों पर चर्चा करते हुए उपस्थित सभी पदाधिकारियों को उक्त योजनाओं से सम्बन्धित शिकायतों का निपटारा शीघ्र करने का निर्देश दिया गया।
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों से कहा गया कि नया राशन कार्ड बनाने अथवा राशन कार्ड में नाम जोड़ने सम्बन्धी शिकायतें जो आयोग के माध्यम से उन्हें भेजे जाते हैं, इन मामलों में यदि रिक्ति नहीं होने के कारण लाभुक का राशन कार्ड नहीं बन पाता है अथवा राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ पाता है, तो इससे सम्बन्धित प्रतिवेदन आयोग को भेजें, ताकि शिकायतकर्ता को इससे अवगत कराते हुए मामले को निष्पादित किया जा सके।

- प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा कहा गया कि कई बार शिकायतकर्ता द्वारा राशन डीलर के विरूद्ध शिकायत करने पर उनका राशन कार्ड कहीं और ट्रांसफर करा दिया जाता है अथवा कार्ड डिलिट करा दिया जाता है। प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा डीलर को मनमानी करने से रोकने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा कहा गया कि प्रायः यह पाया जाता है कि राशन डीलर द्वारा लाभुकों को ई–पॉस मशीन से निकलने वाला पर्ची नहीं दिया जाता है, ऐसे में लाभुकों को इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है कि उन्हें कितना राशन मिलना है। प्रभारी अध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि लाभुकों को पर्ची मिल सके।
- जिला आपूर्ति पदाधिकारी को यह भी निर्देश दिया गया कि राशन कार्ड से नाम डिलिट करने, डीलर बदलने, लिंग सुधार एवं उम्र सुधार करने से सम्बन्धित आवेदन में विलंब नहीं किया जाए। लाभुकों को उनके अहर्त्ता के अनुसार राशन दिलाना सुनिश्चित करें।
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा सम्बन्धित सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जनवितरण प्रणाली केन्द्रों, विद्यालयों में दिये जाने वाले पी0एम0 पोषण एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में योजना से सम्बन्धित सूचना पट्ट अंकित करवाना सुनिश्चित करें, ताकि लाभुकों को उनके अधिकारों की जानकारी हो सके। प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा बैठक में उपस्थित सम्बन्धित सभी पदाधिकारियों को इस पर विशेष ध्यान देने एवं लाभुकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया गया।
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि लोगों को अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से सम्बन्धित शिकायत दर्ज करने हेतु प्रेरित करें, ताकि शिकायतों का निपटारा जिला स्तर पर ही हो सके।

इसके साथ धनबाद एवं बोकारो जिला भ्रमण समाप्त हुआ।

8.9.25
(शबनम परवीन)
सदस्या–सह–प्रभारी अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

जिला–धनबाद

1. नया प्राथमिक विद्यालय (**U-Dise Code-20120607020**) पंजाबी मोहल्ला, कतरासगढ़, जिला–धनबाद का निरीक्षण।

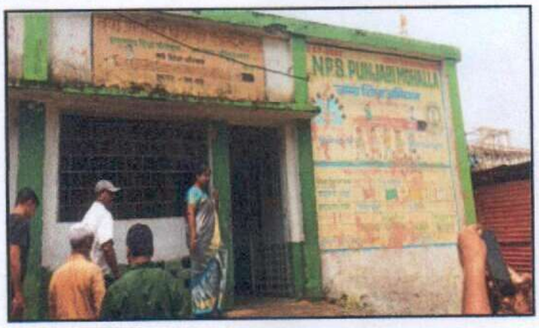

2. राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय (**U-Dise Code-20120300108**) दुहाटाँड़, जिला–धनबाद–I का स्थलीय निरीक्षण।

3. धनबाद जिले के सदर अस्पताल अवस्थित कुपोषण उपचार केन्द्र का निरीक्षण।

4. परिसदन भवन, धनबाद में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक।

जिला–बोकारो

1. मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्र, कुमारदगा–2, पंचायत–कुमारदगा, प्रखण्ड–चास, जिला–बोकारो का निरीक्षण।

2. आंगनबाड़ी केन्द्र, कुमारदगा, पंचायत–पोखन्ना, प्रखण्ड–चास, जिला–बोकारो का निरीक्षण।

3. राशन डीलर, कृष्ण देव महतो, अनुज्ञप्ति सं0–15/2017, पिण्ड्राजोरा, प्रखण्ड–चास, जिला–बोकारो का निरीक्षण।

4. अनुमण्डलीय अस्पताल, प्रखण्ड–चास, जिला–बोकारो अवस्थित कुपोषण उपचार केन्द्र का निरीक्षण।

5. परिसदन भवन, बोकारो में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक।